क्रम संख्या–106 पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बुधवार, 22 सितम्बर, 2021 ई0

भाद्रपद 31, 1943 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 252 / XXXVI (3) / 2021 / 52(1) / 2021

देहरादून, 22 सितम्बर, 2021

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन मा0 राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित ' **हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021**" पर दिनांक 18 सितम्बर, 2021 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का **अधिनियम संख्याः 21 वर्ष, 2021** के रूप में सर्व–साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2021

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 21, वर्ष 2021)

हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 में अग्रेतर संशोधन करने के लिए,

अधिनियम

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो:–

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2021 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

अधिनियम में संशोधन

2. हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) में "हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय" शब्दों के स्थान पर, जहाँ जहाँ वे आते हैं, "महाराजा अग्रसेन हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय" शब्द रख दिये जायेंगे।

व्यावृत्ति

3. ऐसे संशोधन के होते हुए भी मूल अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गयी समझी जायेगी।

आज्ञा से,

हीरा सिंह बोनाल,
प्रमुख सचिव।

उद्देश्य और कारण का कथन

ट्रेड मार्क अधिनियम, 1999 के तहत हिमालयन विश्वविद्यालय नाम का ट्रेडमार्क होने एवं हिमालयन विश्वविद्यालय, ईटानगर, अरूणाचल प्रदेश व हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय, पौड़ी गढ़वाल के मध्य हुए समझौते के दृष्टिगत हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय के नाम में संशोधन किया जाना समीचीन है।

2– प्रस्तावित विधेयक उपर्युक्त उद्देश्य की पूर्ति करता है।

डा0 धन सिंह रावत
मंत्री